सेविंग चिल्ड्रन फ्रॉम द ब्रिंक

कोविड संकट में बाल संरक्षण सम्बंधित मुश्किलों पर कार्य करना

25th May, 2021

SAMVAD

Support, Advocacy & Mental health interventions for children in Vulnerable circumstances And Distress

(A National Initiative & Integrated Resource for Child Protection, Mental Health, & Psychosocial Care)

Dept. of Child and Adolescent Psychiatry

National Institute of Mental Health & Neurosciences (NIMHANS),Bangalore

Supported by Ministry of Women & Child Development, Government of India

SAMVAD

(Support, Advocacy & Mental health interventions for children in Vulnerable circumstances And Distress)

(A National Initiative & Integrated Resource for Child Protection, Mental Health & Psychosocial Care)

Dept. of Child and Adolescent Psychiatry, NIMHANS, Bangalore

Supported by: **Ministry of Women & Child Development, Government of India**

सेविंग चिल्ड्रन फ्रॉम द ब्रिंक

कोविड संकट में बाल संरक्षण सम्बंधित मुश्किलों पर कार्य करना।

मंगलवार, 25th May 2021

5:30-8:00PM

सन्दर्भ स्थापित करना ...

प्रथम वेव

- बुज़ुर्ग सबसे अधिक प्रभावित
- बच्चों में रोग और मृत्यु दर:- बीमारी की गंभीरता कम
  - केवल छोटे बच्चों (10 वर्ष से कम) को अधिक जोखिम में और उपचार की आवश्यकता
  लेकिन बच्चे कैरिएर हो सकते हैं...
- लॉक डाउन/प्रतिबंधित गतिशीलता के कारण मनोवैज्ञानिक समस्याएं।
- कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए उभरते सुरक्षा सम्बंधित जोखिम

दूसरी वेव

- **ok;jl dh c<+rh xaHkhjrk**
- **mPp Lrj dh laØkedrk vkSj çlkj**
- **fujarj y,dMkmu @ vkokxeu ij çfrca/k**
- **;g vçR;kf'kr Fkk---**
- **ge rS;kj ugha Fks---**
- **lkoZtfud LokLF; ç.kkfy;ksa ij Hkkjh cks>**
- **T;knk yksaxksa dh e`R;q &;qok o;Ld vkcknh esa e`**

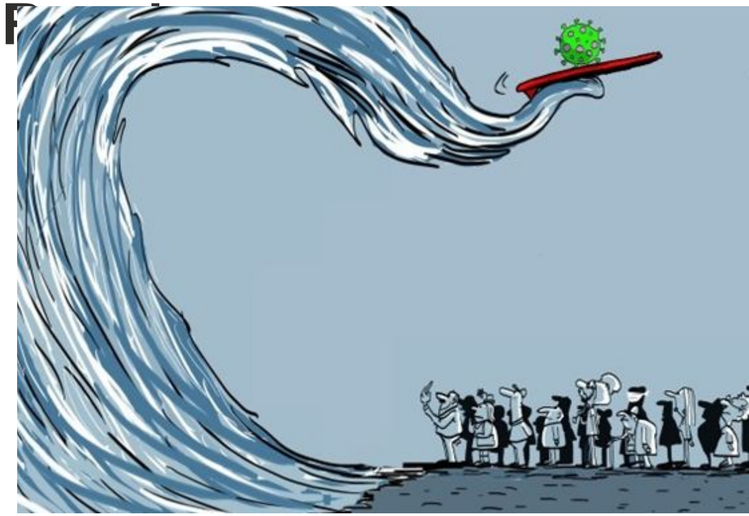

dksfoM egkekjh ds nkSjku cky संरक्षण ls lacaf/kr t+ksf[ke D;k gSa\

प्रभावित बच्चों की श्रेणियां

वेव 1

वर्ग 1

घर और (बाल देखरेख) संस्थाओं में रह रहे बच्चे

वर्ग 2

कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चे (निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, प्रवासी श्रमिक, दैनिक वेतन वाले, शारीरिक या यौन शोषण की घटनाएं, आघात एवं किसी को खो देने के कठिन और आघातपूर्व अनुभव, iqjkuh परिस्थितियां, उपेक्षित, भेदभाव और बुलइंग के अनुभव, अन्य पारिवारिक तनाव (माता-पिता के बीच वैवाहिक समस्याएं)

वेव 2

वर्ग 3

अनाथ/परित्यक्त बच्चे और/या जिनके माता-पिता बीमार हैं

\+

वर्ग 1

\+

वर्ग 2

वर्ग 1: संरक्षण के ज़ोखिम और परिणाम: परिवारों और (बाल देखभाल) संस्थानों में रहने वाले बच्चे

ज़ोखिम

1) ऑनलाइन शोषण
2) घर पर शोषण (शारीरिक/ यौन/ भावनात्मक)
3) दुर्व्यवहार और उपेक्षा
4) सामाजिक बहिष्कार
5) स्कूल को लेकर अनिश्चितता
6) भविष्य के बारे में असुरक्षा

परिणाम

- चिंता
- सामाजिक और शारीरिक अलगाव के परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिक तनाव
- परिवार की आय और आजीविका पर प्रभाव
- माता-पिता की हानि के तनाव के परिणाम स्वरूप …शारीरिक/भावनात्मक शोषण
- बाल यौन शोषण का जोखिम (जारी...)
- बच्चों की दैनिक दिनचर्या बाधित (स्कूल...खेलने का समय, समाजीकरण)
- शिक्षा लेने में बाधा
- शिक्षा तक पहुंच को देखते हुये बच्चों में ऑनलाइन कक्षाओं का प्रभाव...

अलगाव जारी है (अन्य के साथ)

मीडिआ द्वारा रिपोर्ट्स

Parents concerned about online safety of children amid Covid-19 : Report

Bengaluru: Calls on child abuse rise, online classes a factor

Losing Precious Time: Impact of COVID-19 on Early Childhood Education

How coronavirus pandemic could cause child abuse epidemic in virtual world

वर्ग 2: संरक्षण के रिस्क और परिणाम: कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चे

जोखिम

1) बाल श्रम
2) बाल विवाह
3) तस्करी (सेक्स ट्रैफिकिंग शामिल) शोषण
4) कुपोषण और रोग
5) चोंटें और मृत्यु

परिणाम

आंतरिक विकार: चिंता, समायोजन में कठिनाई एवं विकार / अवसाद, पी.टी. एस. डी (पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर)

बाहरी विकार: भाग जाने जैसे व्यवहार, क्रोध/आक्रामकता, सामाजिक विरोधी व्यवहार, मादक द्रव्यों का सेवन और अन्य उच्च जोखिम वाले व्यवहार

जीवन कौशल की कमी: दैनिक जीवन की स्थितियों से निपटने में कमी जैसे मुखरता/ स्वीकार न करने की क्षमता/अवरोध का समाधान/समस्या समाधान/ उचित सोचने से संबंधित कौशल

अल्पकालिक परिणाम आगे चलकर दीर्घकालिक परिणाम का रूप ले सकते हैं जिसमे बच्चे विधि के साथ विवाद में आ सकते हैं

- बाल श्रम
- पारिवारिक संकेतक
- पढ़ाई में समस्याएं
- मादक द्रव्यों का सेवन
- दोस्तों का दबाव
- मानसिक स्वास्थ डिसऑर्डर
- जीवन कौशल में समस्याएं

यह बच्चों के विधि से विवाद में आने के पाथवेज़ हैं

वर्ग 3: संरक्षण के रिस्क और परिणाम: अनाथ/परित्यक्त बच्चे और/या जिनके माता-पिता बीमार हैं

जोखिम

1) माता-पिता / अभिभावक द्वारा
2) अनुभव की जा रही बीमारी
3) मृत्यु
4) परित्याग
5) अन्य रिस्क जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में शामिल हैं

परिणाम

आंतरिक डिसऑर्डर : चिंता, डिसअसोसिएशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर / अवसाद, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर / अन्य मासिक स्वास्थ समस्याएं

बाहरी डिसऑर्डर: मादक द्रव्यों का सेवं , गुस्सा/ आक्रामक व्यवहार, एंटी सोशल व्यवहार और अन्य हाई रिस्क व्यवहार
बीमारी/मृत्यु पर प्रकटीकरण का प्रभाव :
-शोक, परित्याग और खो देने की भावनाएं
-दुःख और अवसाद
-डर और चिंता
"अब मेरा ध्यान कौन रखेगा ?"
"क्या मेरे दूसरे अभिभावक भी मर जायेंगे ?"
"क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी ?"
-छोटे बच्चों को मृत्यु को समझने की संज्ञानात्मक क्षमता
-छोटे बच्चों में भावनात्मक और व्यावहारिक समस्याएं। ... लगाव में समस्याएं, क्लिंगिनेस, खाने में समस्याएं, सोने में समस्याएं
-आघात के कारण विकास में घाटा
-किशोरों की चिंताएं और प्रतिक्रियाएं ... क्रोध, अवसाद, हाई रिस्क व्यवहार

कार्यवाही के लिए

प्रणालीगत बाल संरक्षण हस्तक्षेप हेतु फोकस

वर्ग 2

कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चे

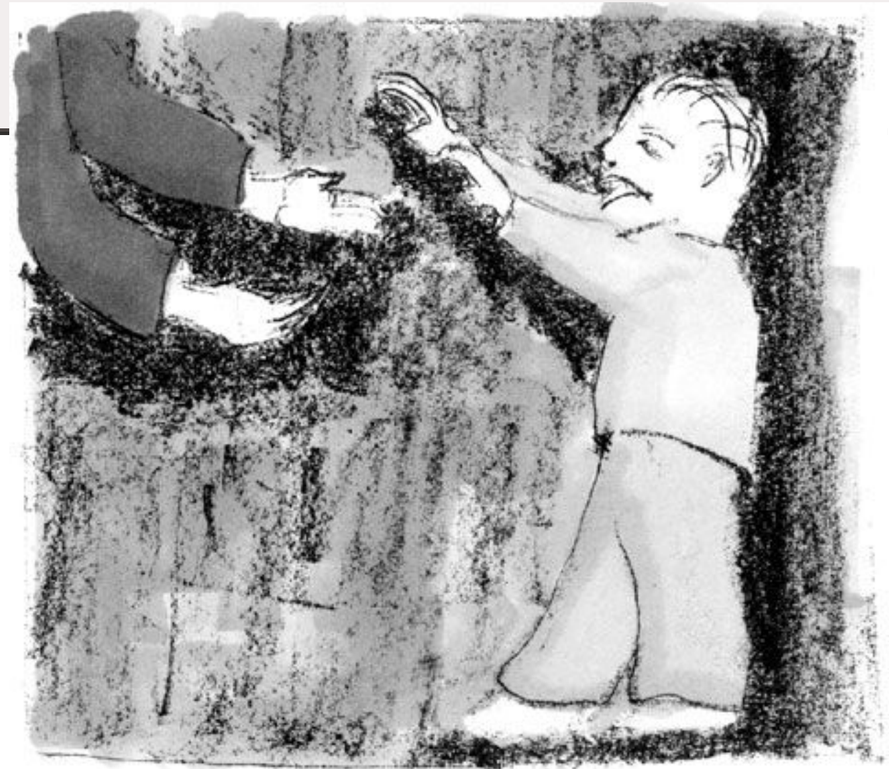

वर्ग 3

अनाथ/परित्यक्त बच्चे और/या जिनके माता-पिता बीमार हैं

आइए इसको बेहतर समझें ....

वर्ग 2 से सम्बंधितबाल संरक्षण हस्तक्षेप– कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चे

आगरा में एक बच्चा दिन में 12-14 घंटे एक छोटे से तंग कमरे में जूते के रबड़ के तलवों को गोंद के साथ जोड़ने का काम कर रहा था। पुलिस ने सितंबर में उसे और अन्य बच्चों को रेस्क्यू किया। बाल कल्याण समिति नें उसे बहराइच घर भेजने का निर्णय लिया - वह अभी घर में है। स्कूल बंद हैं और बच्चे के पिता उसके साथ हे चार अन्य बच्चों को दिन में दो बार भोजन भी खिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं...

1) इस बच्चे को वापस घर भेजने के निर्णय पर आपके क्या विचार हैं ?

2) अगर आप बाल कल्याण समिति से होते तो आप क्या करते और क्यों?

3) आपको क्या लगता है बच्चे के साथ आगे क्या हुआ ?

4) नीचे दिए गए निर्णय और बाल संरक्षण रिस्क और मानसिक स्वास्थ्य परिणाम क्या हो सकते हैं:

क) बच्चे को वापस घर भेजना ?

ख) बच्चे को बाल देख रेख संस्था में भेजना

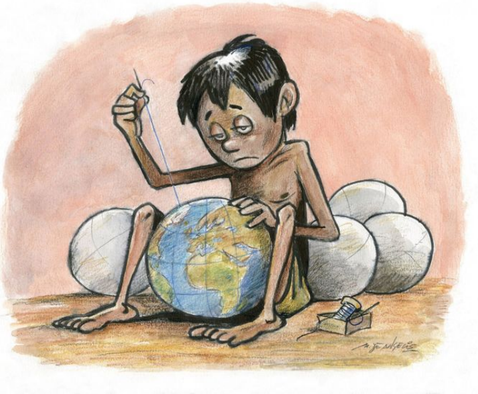

रिवॉल्विंग डोर

11 साल के बच्चे रोहित ने अपने माता-पिता दोनों को COVID की दूसरी वेव में खो दिया -- उसे पड़ोसी द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जाँच करने पर रोहित के चाचा का पता लगा जो उसी शहर में रहते थे और एक कारखाने में काम करते थे। रोहित को चाचा के घर वापस भेज दिया गया।
घर वापस जाने पर, रोहित को उसके चाचा द्वारा कारखाने में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया और एक दिन वह वहाँ से भाग गया। बच्चे को पुलिस ने पार्क में बैठे देखा और बाल कल्याण समिति के समक्ष फिर प्रस्तुत किया है।

<u>प्रश्न:</u>

1) इस स्थिति में आपने क्या किया होता ? बच्चे को घर वापस भेजने का निर्णय उचित है?

2) क्या इस परिवार के पास बच्चे की देखभाल करने की क्षमता है?

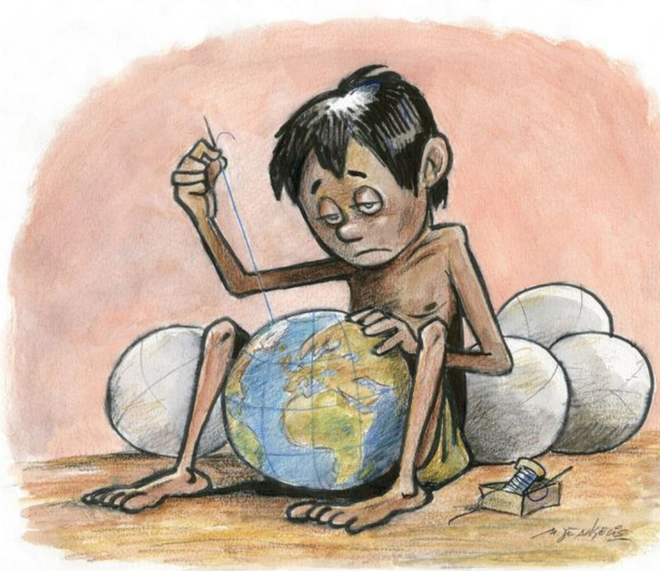

प्लेसमेंट पर निर्णय

निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन का उत्तर **सहमत/AGREE या असहमत / DISAGREEE** के साथ दें:

1) बच्चों को तब तक संस्था में नहीं रखना चाहिए जब तक (extended) परिवार उन्हें दिन में 2 बार भोजन खिलने के लिए सक्षम हैं।

2) अगर परिवार में दुर्व्यवहार और हिंसा का इतिहास होने पर बच्चों को वापस नहीं भेजा जाना चाहिए और संस्था में रखना चाहिए।

3) बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं उन्हें संस्था में रखना चाहिए।

4) बाल संरक्षण अधिकारियों के विचार मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन अधिकारीयों को मुख्य रूप से यह निर्धारित करना चाहिए कि बच्चे को कहाँ रखा जाए।

5) बच्चों को संस्था में नहीं रखना चाहिए क्योंकि परिवार हमेशा और हर परिस्थिति में बच्चों को रखने के लिए सर्वोत्तम जगह है।

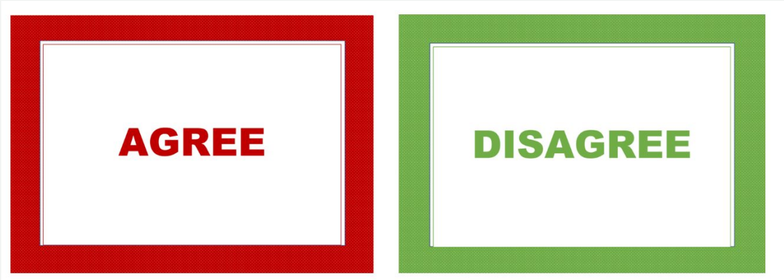

संदर्भ महत्वपूर्ण है और मायने रखता है!

परिवार और घर का व्यवस्थित आँकलन करना महत्वपूर्ण हैं...

वर्ग 3
अनाथ/परित्यक्त बच्चे और/या जिनके माता-पिता बीमार हैं

क्या आपने ये पोस्ट (संदेश) देखे हैं ?

आप इन पोस्ट के बारे में क्या सोचते हैं ?

ये पोस्ट बच्चे के लिए क्या रिस्क पैदा कर सकते हैं ?

क्या यह संदेश बच्चे के संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित करेंगे ?

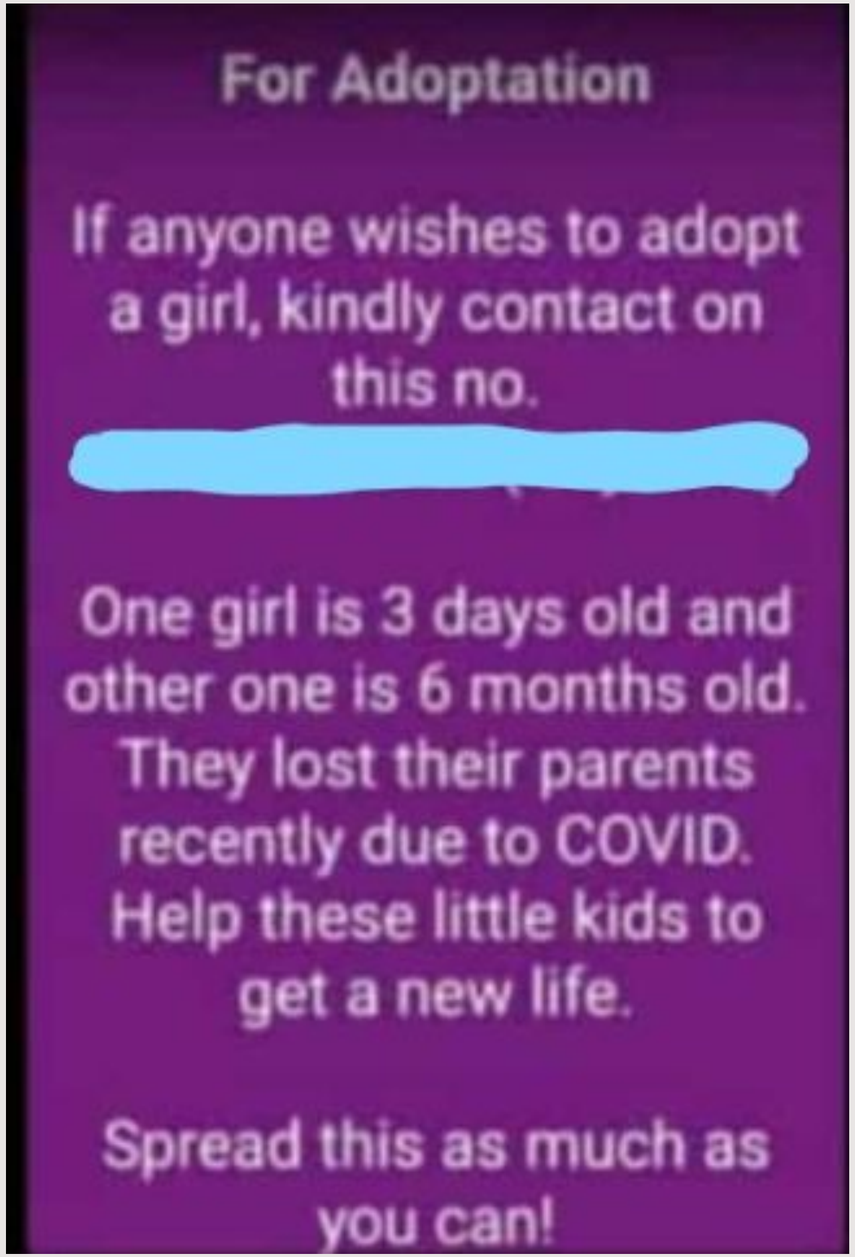

कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक

क्या आपको ऐसे बच्चे मिले हैं जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है ?

संपर्क करें

पुलिस

चाइल्डलाइन -1098

जिला बाल संरक्षण इकाई

बाल कल्याण समिति (जिला स्तर पर)

कृपया ऐसे बच्चों को सीधे गोद न लें

और

किसी को गोद देने की पेशकश भी न करें।

यह कानूनी अपराध है।

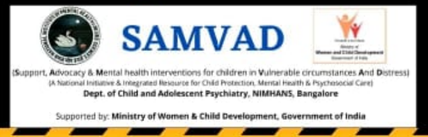

कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक

कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक

कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक

कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक

कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक

अवैध रूप से बच्चों को गोद न लें

क्या आप जानते हैं ?

अवैध रूप से गोद लेना तस्करी को बढ़ावा देता है ।

देखरेखकर्ता बनें, तस्कर न बनें !

कानूनी रूप से गोद लेने के लिए संपर्क करें

Visit: http://cara.nic.in/

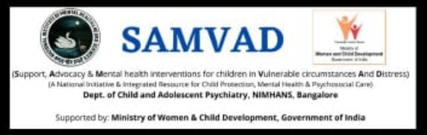

कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक

कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक

कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक

कोविड के संबंध में जागरूक नागरिक

बच्चों को कहाँ आवास देना चाहिए ?

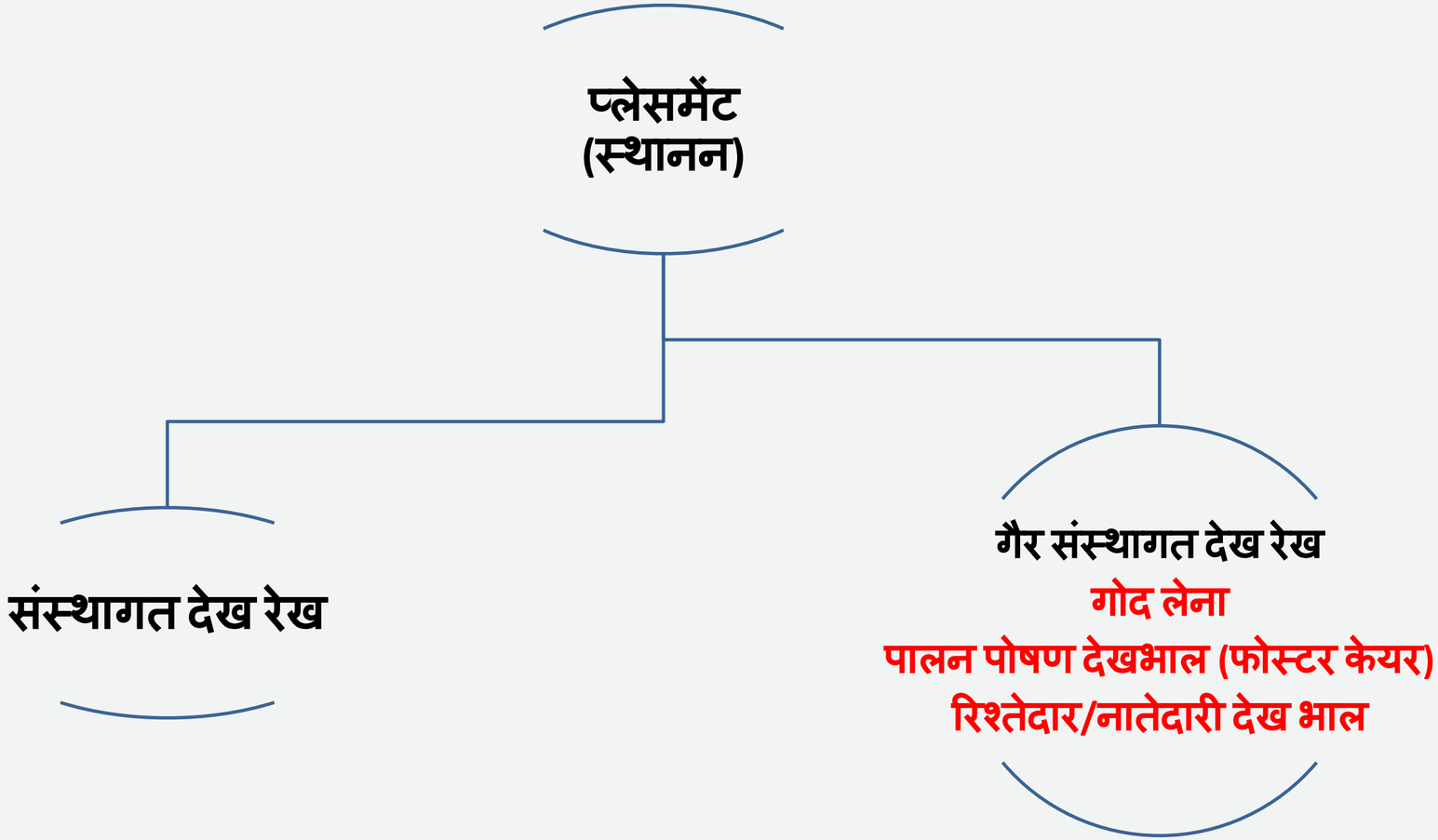
प्लेसमेंट
(स्थानन)
संस्थागत देख रेख
गैर संस्थागत देख रेख
गोद लेना
पालन पोषण देखभाल (फोस्टर केयर)
रिश्तेदार/नातेदारी देख भाल

प्रत्येक से आप क्या समझते हैं?

दत्तकग्रहण /
बच्चे को गोद लेना

पालन पोषण देखभाल / फोस्टर केयर

रिश्तेदार/नातेदारी देख भाल

दत्तकग्रहण / बच्चे को गोद लेना

- बच्चे और जैविक परिवार के बीच कानूनी संबंधों का विच्छेद और बच्चे और दत्तक परिवार के बीच एक नए कानूनी संबंध का निर्माण।

- बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा किसी भी बच्चे को 'गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त' घोषित किया जाना।

- गोद लेने के लिए दो कानूनी प्रक्रियाएंः ए) हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम (HAMA), बी) किशोर न्याय अधिनियम (J.J. अधिनियम) और दत्तक विनियम

- अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्भित बच्चों के मामलों में उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम और कारा के दिशानिर्देशों के तहत प्रक्रिया का पालन किया जानाः

  - घर/परिवार की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन
  - दत्तक परिवार के साथ बच्चे की अनुकूलता की जांच करने के लिए तंत्र मौजूद है
  - बच्चे की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और अनुवर्ती प्रक्रिया

बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना

संभावित माता-पिता द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण एजेंसी को आवेदन

माता-पिता की पात्रता की जांच के लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना

दत्तक ग्रहण एजेंसी बच्चे को माता-पिता को (बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट के साथ) संदर्भित करती है

माता-पिता द्वारा बच्चे की स्वीकृति और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर

गोद लेने से पहले पालक देखभाल

गोद लेने के आदेश के लिए आवेदन

दत्तक ग्रहण आदेश की प्राप्ति

ऊपर का पालन करें

भारत में दत्तक ग्रहण और संपत्ति

गोद लेने के लिए दो कानूनी प्रक्रियाओं में, गोद लिए गए बच्चे का गोद लेने से पहले निहित संपत्ति का स्वामित्व जारी रहता है।

हालांकि, बच्चा संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी शर्तों से बाध्य है।

संपत्ति से संबंधित गोद लेना दोनों कानूनी प्रक्रियाओं के विपरीत है क्योंकि वे बच्चे की भलाई के हित में नहीं हैं।

भारत में न्यायालयों ने बार-बार ऐसे गोद लेने/संरक्षक व्यवस्था की आलोचना की है जहाँ CARA के दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन ना करके सिर्फ गोद लिए गए बच्चे की विरासत का लाभ उठाना एकमात्र उद्देश्य हैं।

पालन पोषण देखभाल / फोस्टर केयर

- पालक देखभाल परिवार-आधारित देखभाल का एक रूप है जो जैविक परिवार के साथ बच्चे के कानूनी संबंधों को नहीं बदलती है।
- पालक देखभाल अल्पकालिक या लंबी अवधि की हो सकती है, लेकिन कानून के अनुसार कोई भी बच्चा जिसे CWC द्वारा 'गोद देने योग्य' समझा जाता है, उसे दीर्घकालिक पालक देखभाल में नहीं दिया जा सकता है।
- भले ही जैविक माता-पिता मौजूद हों, अगर उनमें बच्चे की देखभाल करने की क्षमता नहीं है तो बच्चे को CWC द्वारा पालक देखभाल में दिया जा सकता है।
- पालक देखभाल व्यक्तिगत या सामूहिक परिवार में हो सकती है।
- पालक परिवार को बच्चे से असंबंधित होना चाहिए।

रिश्तेदार/नातेदारी देख भाल

- नातेदारी देखभाल बच्चे के <u>विस्तारित या संयुक्त परिवार के भीतर परिवार आधारित देखभाल है।</u>
- नातेदारी देखभाल को परिवार-आधारित देखभाल के लिए एक <u>गैर-औपचारिक तंत्र</u> माना जाता है।
- हालांकि इसे <u>पालक देखभाल नहीं माना जाता है</u>, इन परिवारों को उपलब्ध प्रायोजक कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

अंततः, गैर-संस्थागत देखभाल के इन विभिन्न रूपों के संबंध में किसी भी बच्चे के स्थानन का निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यानी संदर्भ मायने रखता है!

दत्तकग्रहण पर अधिक जानकारी हेतु

CARA Website

www.cara.nic.in

Adoption series on our YouTube Channel

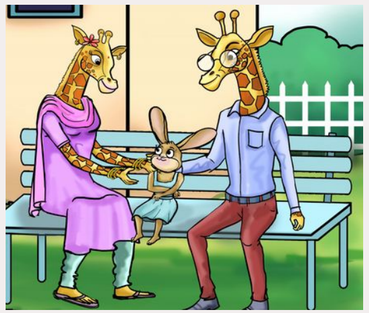

Mimi's Stories on our website:

www.nimhanschildproject.in

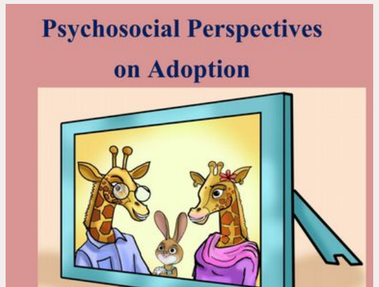

Psychosocial perspectives on Adoption available on our Website

इन मामलों में बच्चे के लिए सबसे अच्छी देखभाल का विकल्प क्या होगा ?

13 साल की बच्ची ने अपने माता-पिता को COVID के कारण खो दिया। बच्ची के चाचा और उसका परिवार उसी घर में रहते हैं और बच्ची के साथ उनके संबंध अच्छे हैं । बच्ची अपने चाचा के पास वापस जाना चाहती है और उनके साथ रहना चाहती है और चाचा भी बच्ची की देखभाल करने के लिए तैयार हैं - वह आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं।

a)क्या बच्ची को संस्था में रखना चाहिए ?
b) हाँ या न के लिए कारण दें।
c) बच्ची के लिए निर्णय लेने से पहले आप क्या क्या संकेतक ध्यान में रखेंगे ?

एक मिल के पास एक नवजात शिशु को लावारिस पाया गया। स्थानीय निवासियों ने देखा कि बच्चे को एक कार्टन बॉक्स के अंदर कपड़े के टुकड़े में लपेटा गया है -- तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचित किया। पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और लावारिस बच्चे को रेस्क्यू किया।

क) इस बच्चे को तुरंत कहाँ रखा जाना चाहिए?
बी) आपका तत्काल फॉलो अप क्या होगी?

बस स्टैंड पर एक 9 साल का बच्चा मिला है जिसके माता-पिता उसे वहाँ छोड़ कर चले गए थे। बच्चे को किसी भी परिवार के अन्य सदस्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बच्चे को एक संस्था में रखा गया है -- कुछ महीने बाद बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए फ्री घोषित किया गया।

a) क्या बच्चे को संस्था में रहना जारी रखना चाहिए?

b) बच्चे की देखभाल के लिए एक कपल आगे आया है। आप क्या करेंगे?

क्या बच्चे के लिए विस्तारित परिवार (रिश्तेदार)हमेशा एक बेहतर विकल्प है?

14 वर्षीय सीमा ने अपनी मां को COVID के कारण खो दिया जिसके बाद उनके पिता का भी निधन हो गया.. सीमा अपने चाचा और चचेरे भाइयों के साथ उनके घर में रह रही थी। सीमा ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रही थी और शुरुआत के महीनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। कुछ दिनों के बाद, सीमा को कई बार मारा गया और न मानने पर चोट पहुँचाने की धमकी दी गई। उसे घर में घरेलू काम करने के लिए भी कहा जाता था और उसे लगातार याद दिलाया जाता था कि “हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। अगर हम नहीं होते तो तुम आज सड़क पर रह रही होतीं।

दिए गए कथनों के लिए सही या गलत बताएं :

- बच्ची को घर पर ही रहना चाहिए क्योंकि परिवार उसको भोजन और आश्रय देता है।
- बच्ची को परिवार के साथ घर पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि वह सुरक्षित नहीं है।
- अगर बच्ची चाहे तो उसे परिवार में वापस भेजा जा सकता है।
- क्या होगा यदि इस मामले में बच्चे को इस परिवार में भेज दिया जाये ?

डी -इंस्टीट्यूशनलाइज़ करने का यह सही समय नहीं है!

हमारे लिए आवश्यक है...

- परिवारों और बच्चों को असुरक्षित गतिविधियों का सहारा लेने से बचाने के लिए गंभीर अभाव और गरीबी से जूझ रहे बच्चों हेतु बाल देखरेख संस्थानों के दरवाजे खोलें।
- सी.सी.आई सेवाओं का विस्तार - ट्रांजिट शेल्टर और बच्चों हेतु मध्यम से दीर्घकालिक आवासीय देखभाल।
- बाल सुरक्षा जोखिमों से बचने के लिए रोकथाम और तैयारी के उपाय के रूप में सी.सी.आई में सुरक्षित स्थान स्थापित करें।
- अधिक क्वारनटीन केंद्रः स्कूल आदि।
- इसके लिए आपके राज्यों, जिलों में कोई अच्छा प्रयास हो तो - कृपया साझा करें।

...जिससे, संकट के इस समय में सी.सी.आई बच्चों के लिए सहायक स्थानों के रूप में काम कर सकें।

किसी बच्चे को परिवार में रखने से पहले, आप क्या जानना चाहेंगे?

आप क्या आंकलन करेंगे?

जब भी हमे बच्चों के प्लेसमेंट के संदर्भ में कोई निर्णय लेना है तो हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है।

a) परिवार और देखभाल करने वाले का आंकलनः

-**देखभाल करने वालों का स्वास्थ्य** (पुरानी बीमारी/बच्चे के देखभालकर्ता को होने की संभावना)

- **बच्चे का समर्थन करने और बुनियादी जरूरतें** (शिक्षा, वर्तमान रहने की स्थिति, देखभाल करने वाले का व्यवसाय और उनकी दिनचर्या सहित) प्रदान करने के लिए परिवार की वित्तीय क्षमता

-**परिवार की प्रेरणा** (क्या परिवार बच्चे की परवाह करता है? संपत्ति/वित्तीय लाभ)

-**पालक देखभाल/गोद लेने की धारणा/समझ-** (बच्चे के साथ क्या संबंध है? बच्चे के मुद्दों को समझने की उनकी क्षमता, आघातपूर्ण यदि शोषण के अनुभव और लगाव विकसित करने की तत्परता)

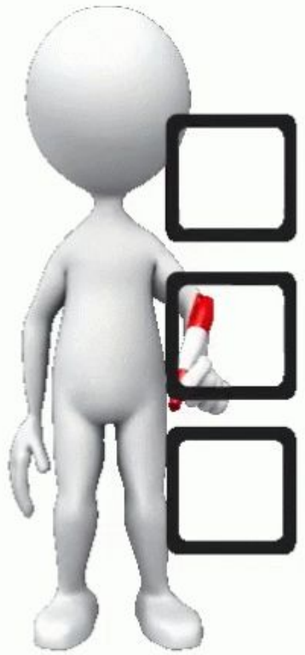

b) बच्चे से संबंधित आंकलनः

- **चिकित्सा परीक्षण।**

-विकासात्मक और मानसिक स्वास्थ्य आंकलन।

-बच्चे की तैयारी और निर्णय (गोद लेने/पालक देखभाल की तैयारी सहित)।

Concluding remarks:

बच्चे के लिए आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक (प्लेसमेंट) निर्णय में बाल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों से अवगत रहें।

बच्चे की सुरक्षा और इष्टतम स्थान सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी संस्थागत देखभाल की सिफारिश की जाती है।

यह संस्थागतकरण बनाम गैर-संस्थागतीकरण नहीं है।

मुद्दा यह नहीं है कि बच्चा परिवार के भीतर है या संस्था में है, बल्कि मुद्दा यह है कि बच्चे की सुरक्षा, विकासात्मक और मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जाता है।

सैद्धांतिक रूप में, निश्चित रूप से परिवार बच्चों के लिए सबसे अच्छी जगह हैं क्योंकि सामान्य और स्वस्थ परिस्थितियों में, परिवार बुनियादी पोषण, लगाव के अनुभव, सुरक्षा, पुष्टि और अवसर के माध्यम से बच्चों के इष्टतम विकास के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। चूंकि हम इस तरह के यूटोपियन दुनिया में नहीं रहते हैं, और भारत जैसे देश में, एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी में जी रही है, बाल देखभाल संस्थानों को अस्तित्व में रहने की जरूरत है।

एक ज़िम्मेदार नागरिक, देखभाल करने वाला या सेवा प्रदाता बनें।

बच्चे की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दें।

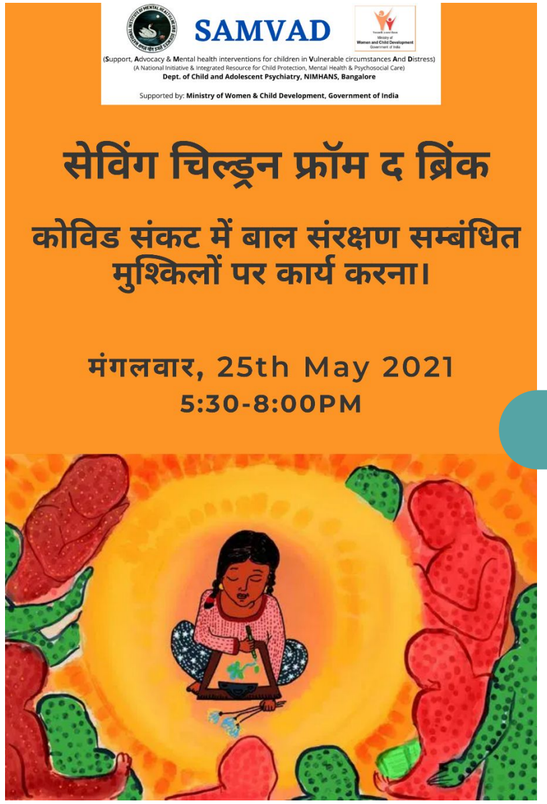

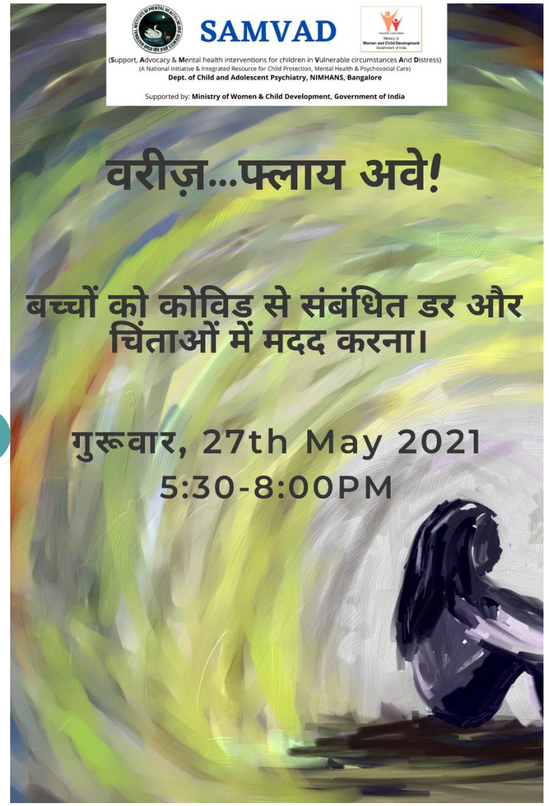

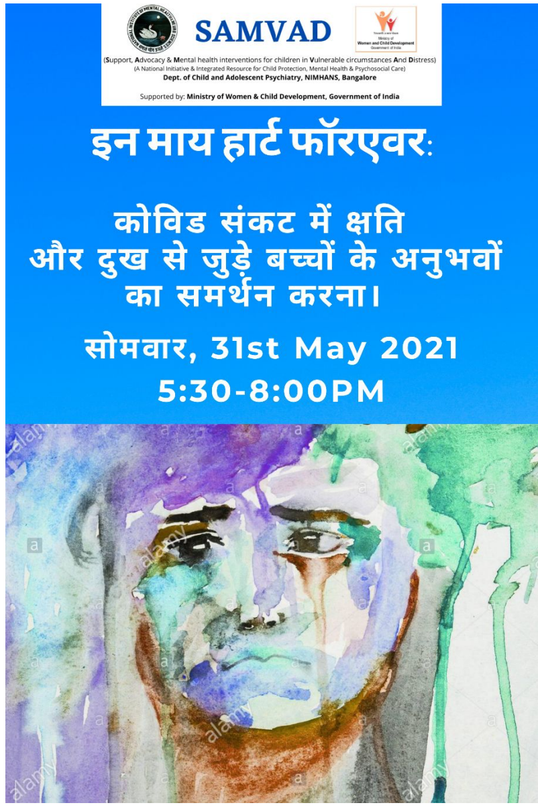

SAMVAD's COVID Series...
"Children in the Covid Crisis...Like We Never Expected It to Be: The What and How of Working with Child Protection and Psychosocial Issues"